

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर

राजस्व वाद 89/2020 (2020/00217)

1. नन्दलाल पुत्र श्री सूरजमल।
2. दुर्गालाल पुत्र श्री सूरजमल।
3. कमला पुत्री श्री सूरजमल साल निवारी लसाडिया हाल निवारी कावरिया  
सागरत जाति लौहार निवारीगण लसाडिया तहसील केकड़ी जिला अजमेर।

—वादीगण

बनाम

1. श्री महावीर पुत्र श्री सूरजमल जाति लौहार निवारी लसाडिया तहसील केकड़ी जिला अजमेर।
2. श्रीमान तहसीलदार महोदय केकड़ी।
3. श्रीमान उपपंजीयक महोदय केकड़ी।

—प्रतिवादीगण

4. कौशल्या पुत्री सूरजमल पत्नी श्री सायर लौहार निवारी लसाडिया हाल निवारी सरवाड तहसील सरवाड जिला अजमेर।
5. मांगी देवी पत्नी श्री सूरजमल लौहार निवारी लसाडिया तहसील केकड़ी जिला अजमेर।

—प्रफोर्मा प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 188,53,209 राज.काश्तकारी अधिनियम

—:: निर्णय ::—

दिनांक 2.11.2022

राक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादपत्र अन्तर्गत धारा 188,53,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया कि ग्राम लसाडिया तहसील केकड़ी की जमाबन्दी के खाता संख्या 309-261 के खरारा संख्या 517,518,519,521,522,777/1658 रकबा 0.02,0.15,0.74,0.37,0.12,0.05 हैक्टर कुल किता 6, कुल रकबा 1.45 हैक्टर का निर्णय व प्रारंभिक डिकरी दिनांक 15.9.2022 को जारी कर बटवारा करने हेतु तहसीलदार केकड़ी को गौका कमिश्नर नियुक्त किया गया था। तहसीलदार केकड़ी ने बटवारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जो निम्नानुसार है:-

क्र.स.	नाम खातेदार	खरारा नंबर	रकबा	किरम
1	मांगी देवी पत्नि सूरजमल 1/5 कमला कौशल्या पुत्रिया सूरजमल 2/5 दुर्गालाल पुत्र सूरजमल 1/5 महावीर पुत्र सूरजमल 1/5 कौम लौहार सा.देह खातेदार दुर्गा का हिरसा राहिन बी.ओ.बी जुनिया	518	0.15	
		519/1	0.55	
		522	0.12	
		777/1658/1	0.03	
		किता 5	रकबा 1.22 है.	
2	नन्दा पुत्र सूरजमल कौम लौहार सा.देह खातेदार	519/2	0.19	
		777/1658/2	0.02	
		किता 2	रकबा 0.21 है.	
3	मांगी देवी पत्नि सूरजमल 1/7 कमला कौशल्या पुत्रिया सूरजमल 2/7 नन्दा पुत्र सूरजमल 1/7 दुर्गालाल पुत्र सूरजमल 1/7 महावीर पुत्र सूरजमल 1/7 कौम लौहार सा.देह खातेदार दुर्गा का हिरसा राहिन बी.ओ.बी जुनिया	517	0.02	गै.मु.वाह (शामलात)
		किता 1	रकबा 0.02	

तहसीलदार केकड़ी द्वारा प्रस्तुत बटवारा प्रस्ताव में वादीगण का हिस्सा लाल रंग से दर्शित किया गया है जबकि प्रतिवादी का हिस्सा नीला रंग से दर्शित किया गया है। तहसीलदार केकड़ी द्वारा अवगत कराया गया कि वादी एवं उनके गवाह मौके पर उपस्थित रहे। उनके हस्ताक्षर कराये गये। वकील पक्षकारान को सुना गया। वकील वादी ने वादपत्र में अंकित कथनों को दोहराया। वादी पक्षकारान राजस्व रिकोर्ड अनुसार बटवारा किये जाने हेतु सहमति जाहिर की है।



*(Signature)*  
उपखण्ड अधिकारी  
केकड़ी (अजमेर)

संशोधन का प्रदर्शन किया गया। उपरोक्त प्रस्तावों पर उपरीनियंत्रक केंद्रों द्वारा प्रेषित बंटवार प्रस्ताव का अनुमोदन किया। संबंधित प्रस्तावों की शर्तों पर भी किया। उपरीनियंत्रक द्वारा प्रस्ताव अनुसार निम्न प्रकार बंटवार किया जाता है।

क्र.सं.	वस्तु विवरण	खसत -वर्ग	रकम	कि.सं.
1	सभी देवी प्रतिम सुवर्णमय 1/5 कर्मा कौशल्या पुत्रिया सुवर्णमय 2/5 दुर्गादेवी पुत्र सुवर्णमय 1/5 महादेवी पुत्र सुवर्णमय 1/5 कौम लीला सा देव आलेख दुर्गा का विष्णु मूर्ति की.प्र.की पुत्रिया	010	0.10	
		010 / 1	0.00	
		022	0.12	
		777 / 1000 / 1	0.03	
		किता 5	रकम 1.22	
2	सदा पुत्र सुवर्णमय कौम लीला सा देव आलेख	010 / 2	0.10	
		777 / 1000 / 2	0.03	
		किता 2	रकम 0.21	
3	सभी देवी प्रतिम सुवर्णमय 1/1 कर्मा कौशल्या पुत्रिया सुवर्णमय 2/1 सदा पुत्र सुवर्णमय 1/1 दुर्गादेवी पुत्र सुवर्णमय 1/1 महादेवी पुत्र सुवर्णमय 1/1 कौम लीला सा देव आलेख दुर्गा का विष्णु मूर्ति की.प्र.की पुत्रिया	011	0.03	दे.पु.वार (सामान्य)
		किता 1	रकम 0.03	

उपरीनियंत्रक केंद्रों द्वारा प्रेषित प्रस्तावों की प्रकृत प्रकृत शर्तों व तर्जानों का ध्यान रखते हुए बंटवार का निर्णय किया जाये। शर्तों का अनुमोदन प्रकृत प्रकृत प्रकृत।

निर्णय शुद्ध आवाज में सुनाया गया।

  
**उपरीनियंत्रक अधिकारी**  
**केंद्र-1 (अजमेर)**



गूल वाद में अतिम डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)  
उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर  
(पीठारीन अधिकारी केम्प कोर्ट)  
पीठारीन अधिकारी:- विकास पंचोली (आर.ए.एस.)  
उन्वान

1. नन्दलाल पुत्र श्री सूरजमल।
2. दुर्गालाल पुत्र श्री सूरजमल।
3. कमला पुत्री श्री सूरजमल साल निवारी लसाडिया हाल निवारी कावरिया समरत जाति लौहार निवारीगण लसाडिया तहसील केकडी जिला अजमेर।

—वादीगण

बनाम

1. श्री महावीर पुत्र श्री सूरजमल जाति लौहार निवारी लसाडिया तहसील केकडी जिला अजमेर।
2. श्रीमान तहसीलदार महोदय केकडी।
3. श्रीमान उपपंजीयक महोदय केकडी।

—प्रतिवादीगण

4. काशल्या पुत्री सूरजमल पत्नी श्री सायर लौहार निवारी लसाडिया हाल निवारी सरवाड तहसील सरवाड जिला अजमेर।
5. मांगी देवी पत्नी श्री सूरजमल लौहार निवारी लसाडिया तहसील केकडी जिला अजमेर।

—प्रफोर्मा प्रतिवादीगण

वाद पत्र:- अंतर्गत धारा 188,53,209 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नम्बर:- राजस्व वाद 89/2020 (2020/00217)

निर्णय दिनांक:- 2.11.2022

यह मुकदमा आज वारते इनफिरसाल कतई रुवरु श्री विकास पंचोली आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी केकडी बहाजिरी श्री हनुमान प्रसाद शर्मा वकील वादी व श्री केसरलाल चौधरी वकील प्रतिवादी व पैरोकार सरकार जयें नायब तहसीलदार केकडी हाजिर मुद्दावलाह पेश कर हुकम दिया जाता है वाद पत्र:- अंतर्गत धारा 188,53,209 राज. काश्तकारी अधिनियम का दावा स्वीकार किया जाकर स्थायी जमावंदी के खाता संख्या नया-पुराना 309-261 के खसरा संख्या 517,518,519,521,522,777/1658 के रकबा 0.02,0.15,0.74,0.37,0.12,0.05हेक्टर कुल किता 6, कुल रकबा 1.45हेक्टर निर्णय व प्रारम्भिक डिकरी दिनांक 15.9.2022 की पालना में बटवारा तहसीलदार केकडी द्वारा निम्नानुसार प्रस्तुत किया है

क्र.स.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	किरम
1	मांगी देवी पत्नी सुरजमल 1/5 कमला कौशल्या पुत्रिया सुरजमल 2/5 दुर्गालाल पुत्र सुरजमल 1/5 महावीर पुत्र सुरजमल 1/5 कौम लौहार सा.देह खातेदार दुर्गा का हिस्सा राहिन बी.ओ.बी जुनिया	518	0.15	
		519/1	0.55	
		522	0.12	
		777/1658/1	0.03	
		किता 5	रकबा 1.22है.	
2	नन्दा पुत्र सुरजमल कौम लौहार सा.देह खातेदार	519/2	0.19	
		777/1658/2	0.02	
		किता 2	रकबा 0.21है.	
	मांगी देवी पत्नी सुरजमल 1/7 कमला कौशल्या पुत्रिया सुरजमल 2/7 नन्दा पुत्र सुरजमल 1/7 दुर्गालाल पुत्र सुरजमल 1/7 महावीर पुत्र सुरजमल 1/7 कौम लौहार सा.देह खातेदार दुर्गा का हिस्सा राहिन बी.ओ.बी जुनिया	517	0.02	गै.मु.वाह (शामलात)
		किता 1	रकबा 0.02	

अतः उपरोक्तानुसार बटवारा स्वीकार किया जाता है तहसीलदार केकडी राजस्व रिकॉर्ड जमावंदी में अलग अलग खाते व लगाम कायम करे। इस आशय का डिकरी पर्चा जारी किया जाता है खर्चा फरिफेन अपना अपना वहन करे।

चीज ..... मुबलिक..... बाबत..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी तक.....

मुकदमे के मय सूद व शरह ..... मुहर अदालत के आज तारीख 2.11.2022 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी  
केकडी (अजमेर)

मुद्दह	रुपया	पैसा	मुद्दयलाह	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जी	0	0	स्टाम्प अर्जी दावा	0	0
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकील			महनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
वावत इजराय हुबमनामा			वावत इजराय हुबमनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान	0	0	मीजान	0	0

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिफेन का चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।